# न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 26/2026 बउनवानी हरीनन्द मीना बनाम तहसीलदार सवाईमाधोपुर
निवासी सूरवाल तहसील सवाईमाधोपुर

**GCMS No-2026/ 33** **Appeal Number- 321879566750905**

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज |
|---|---|
| **25.2.2026** | पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 31.12.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " ***ग्राम सूरवाल ए के पटवार हल्का सूरवाल तहसील सवाईमाधोपुर मे स्थित भूमि खाता संख्या 371 पुराना खाता संख्या 374 खातेदार भगवती प्रसाद पुत्र रामबिलास मीना दर्ज है से संबंधित नामा0 संख्या 340 के सम्पूण कार्यवाही एवं विवरण की प्रमाणित सूचना*** "तहसीलदार सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1) के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।<br><br>लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस कमांक/एफ./तह0/आटीआई/2026/08 दिनांक 4.3.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 31.12.2025 मे चाही गयी सूचना का नामा0 संख्या 340 जो कि रहन मुक्ति का है की प्रति अपीलान्ट को जरिये पत्रांक एफ/आरटीआई/2026/02 दिनांक 16.1.2026 से उपलब्ध करवायी जा चुकी है।<br><br>पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 31.12.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना नामा0 संख्या 340 मय संलग्नक की प्रति मय संलग्न दस्तावेजो की प्रति अपीलान्ट को लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा जरिये पत्रांक एफ/आरटीआई/ 2026/02 दिनांक 16.1.2026 से अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।<br><br>( काना राम )<br>जिला कलेक्टर<br>सवाई माधोपुर |

Scanned with OKEN Scanner